सँख्या / 182 / XXIV–3 / 2006

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरॉचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरॉचल, देहरादून ।

शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनॉक 23 मार्च ,2006

विषयः राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या नियोजन– 4 / 57020 / मा0मु0घो0–3 / 2005–06दिनॉक01–02–2006, नियोजन –4 / 54961 / जीर्ण–शीर्ण भवन / 2005–06 दिनॉक 30–01–2006 एवं नियोजन–4 / 54800 / जीर्ण–शीर्ण / 2005–06 दिनॉक 28–1–2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु उनके सम्मुख अनुमोदित लागत पर वित्तीय एवं प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में उनके सम्मुख अंकित कुल रू0 15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि को, शासनादेश संख्याः 630 / XXIV–2 / 2005 दिनॉक 29–04–2005 द्वारा प्रश्नगत योजना में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 822.24 लाख में से व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः–

(धनराशि लाख में)

विद्यालय का नाम	निर्माण ऐजेन्सी का नाम	आगणन की अनुमोदित लागत	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
1– रा0इ0का0 सराईखेत, अल्मोड़ा	–	48.55	1.00
2– रा0इ0का0 कोटाचामी,अल्मोड़ा	–	74.36	1.00
3– रा0इ0का0 भौनखाल, अल्मोड़ा	–	74.36	1.00

4— रा0इ0का0 चौनलिया, अल्मोड़ा	—	47.97	1.00
5— रा0इ0का0 खुमाड़, अल्मोड़ा	—	65.44	1.00
6— रा0इ0का0 खिर्सू, पौड़ी गढ़वाल	राजकीय निर्माण निगम इकाई— पौड़ी	85.62	1.00
7— रा0इ0का0 धुमाकोट, पौड़ी	राजकीय निर्माण निगम इकाई— पौड़ी	81.72	1.00
8—रा0इ0का0 अमोला, पौड़ी	राजकीय निर्माण निगम इकाई— हरिद्वार।	55.02	1.00
9— रा0इ0का0 चम्पावत	—	49.39	1.00
10— रा0इ0का0 खेड़ाखाल,रूद्रप्रयाग।	राजकीय निर्माण निगम इकाई—श्रीनगर गढ़वाल	82.08	1.00
11 —रा0इ0का0 रोहिड़ा, चमोली	राजकीय निर्माण निगम इकाई—श्रीनगर गढ़वाल	87.32	1.00
12—रा0बालिका इ0का0 रूद्रप्रयाग	राजकीय निर्माण निगम इकाई—श्रीनगर गढ़वाल	83.85	1.00
13—रा0इ0का0 कूनीगाड़, चमोली	राजकीय निर्माण निगम इकाई—श्रीनगर गढ़वाल	90.93	1.00
14— रा0इ0का0 लाटूगौर, चमोली	राजकीय निर्माण निगम इकाई—श्रीनगर गढ़वाल	92.52	1.00
15— रा0इ0का0 आदिबद्री, चमोली	राजकीय निर्माण निगम इकाई—श्रीनगर गढ़वाल	97.46	1.00
		1116.59	15.00

(1)— आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2)— कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3)— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4)— एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) — कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(6)— कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।

(7)— आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8)— निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जानी वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(9)— यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृति धनराशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

(10)— निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

2— राजकीय इण्टर कालेज सराईखेत/ राजकीय इण्टर कालेज कोटचामी/राजकीय इण्टर कालेज भौनखाल/राजकीय इण्टर कालेज चौनलिया/राजकीय इण्टर कालेज खुमाड़, अल्मोड़ा एवं राजकीय इण्टर कालेज चम्पावत से संबंधित निर्माण कार्य भी राजकीय निर्माण निगम से सम्पादित कराये जाय। इस के लिए इन विद्यालयों के सम्मुख उपरोक्तानुसार अनुमोदित लागत पर कार्य सम्पादित कराये जाने हेतु राजकीय निर्माण निगम की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही संबंधित निर्माण ईकाई को धनराशि अवमुक्त की जाय।

3— उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहॉ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय

शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

4— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005—06 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 के अधीन लेखा शीर्षक— 4202 — शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय— 01— सामान्य शिक्षा —202—माध्यमिक शिक्षा— आयोजनागत —00— 11— राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनहीन/जीर्ण—शीर्ण भवनों का निर्माण— 24— वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या— 938/ वित्त अनु0—3/06 दिनॉक 22—3—2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

सॅख्याः 182 (1)/ XXIV—3/2006 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार,उत्तरॉचल, देहरादून।
2— निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी।
3— निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4— मण्डलायुक्त , कूमायूँ मण्डल, नैनीताल/पौडी।
5— मुख्यमंत्री कार्यालय (घोषणा अनुभाग)अनुभाग—4 ।
6— मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, नैनीताल /पौडी।
7— जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, पौडी, चम्पावत, रूद्रप्रयाग, चमोली।
8— कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, पौडी, चम्पावत, रूद्रप्रयाग, चमोली।
9— जिला शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा, पौडी, चम्पावत, रूद्रप्रयाग,चमोली।
10— बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
11— वित्त अनुभाग—3/कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग।
12— एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल, देहरादून।
13— संबंधित निमार्ण ऐजेन्सी।
14— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव